## इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, प्रयागराज परीक्षा विभाग के द्वारा प्रवेश परीक्षा सत्र 2023–24 की काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश

- A. आई७ई०आर०टी० में संचालित विभिन्न पाठ्यकम :-
- 1 तीन वर्षीय (६ सेमेस्टर) इंजीनियरिंग / टेक्नोलाजी डिप्लोमा पाठ्यकम।
- 2 दो वर्षीय (४ सेमेस्टर) मैनेजमेन्ट (कामर्शियल प्रैविटस/भैटीरियल मैनेजमेन्ट/मार्केटिंग मैनेजमेन्ट) डिप्लोमा पाठ्यकम।
- उंद्ध वर्षीय (3 सेमेस्टर) पोस्ट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यकम।
- B. <u>काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं जमा करने के लिए प्रत्येक की दो सेट स्वयं</u> सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लायें—
- 1 आई०ई०आर०टी० प्रवेश परीक्षा २०२३ के लिए आप को जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र।
- 2 न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने वाली परीक्षा सिहत समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें अर्थात इंजीनियरिंग/टेक्नोलाजी के डिप्लोमा हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष, मैनेजमेन्ट डिप्लोमा हेतु इन्टरमीडिएट या समकक्ष (हिन्दी और अंग्रेजी हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट में अनिवार्य), पी०डी०सी०ए० हेतु स्नातक उपिध (इन्टरमीडिएट स्तर पर गणित एवं भौतिक शास्त्र विषय सिहत) अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- 3 अन्तिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का)।
- 4 उ०प्र० के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े (Gen. E.W.S.) अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग, उ०प्र० अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैनिक आश्रित/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संतान का प्रमाण पत्र तथा शारीरिक विकलांगता श्रेणियों के सन्दर्भ में 31 मार्च 2023 के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त श्रेणी प्रमाण पत्र।
- 5 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का पेन्शन प्रपन्न तथा सैनिक अश्रितों के लिए सैनिक के पेन्शन कागजात यदि वह सेवानिवृत्त हो गया है।
- 6 06 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जैसा कि प्रवेश/सत्यापन पत्र पर चिपकाया गया है जिस पर नाम एवं दिनांक लिखा हो।
- अन्तिम संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल (सत्य) प्रथम प्रित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रितहस्ताक्षरित मूल रूप से जमा होगी, स्नातक उपिध के छात्र विश्वविद्यालय से Migration Certificate की मूल प्रित अवश्य जमा करें। ICSE/CBSE बोर्ड के छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रथम प्रितिलिप एवं बोर्ड द्वारा देय मूल प्रथम माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करेगें।
- 8 किसी राजकीय अस्पताल द्वारा ब्लंड ग्रुप रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- 10 शिक्षा में व्यवधान यदि कोई हो तो कारण स्पष्ट करते हुए हलफनामा, जो निदेशक, आई०ई०आर०टी०, प्रयागराज के नाम से देना होगा।
- 11 टी०सी० (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) माइग्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें।
- C. शुल्क:-समस्त शुल्क रू० 21,840 / (काउन्सिलिंग फीस एवं संस्था की फीस अलग-अलग) नगद जमा करना होगा। जिसका विवरण निम्हवत् है:-
- 1 रू० 1000/— (रूपये एक हजार मात्र) सभी अभ्यर्थियों द्वारा देय काउन्सिलिंग फीस नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
- 2 प्रवेश हेतु अधिकृत अभ्यर्थियों के लिए निम्न संस्था शुल्क:—
  सभी वर्ग (सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) तथा सभी पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु संस्थान की
  शुल्क रू० 20840/— है (जिसमें रू० 14430/— द्यूशन शुल्क, रू० 840/— परीक्षा शुल्क, रू० 4570/— छात्रनिधि एवं
  रू० 1000/— काशनमनी), सभी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
- D. काउन्सिलिंग के समय प्रवेश हेतु आने वाले छात्र/छात्राओं को निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना आवश्यक है :--
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र यदि इन्टरनेट पर नहीं प्रमाणित होता है, तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जायेगा।

O

- 2 उ०प्र० के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछ़ड़े (Gen. EWS) अभ्यर्थियों हेतु 31 मार्च 2023 के बाद का निर्गत ई०डब्लू०एस० प्रमाण पत्र (जो कि विगत वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के आय पर आधरित) हो।
- 3 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर नहीं प्रमाणित होता है, तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जायेगा।
- 4 सभी वर्गो हेतु कम्प्यूटरजनित निवास प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
- 5 कम्प्यूटरजनित प्रमाण पत्रों की इन्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 6 पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिकाओं व प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति और यदि गैप हो तो गैप का हलफनामा मूल रूप में।

## E. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- 1 काउन्सिलिंग हेतु छात्र/छात्रा को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।
- 2 काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने का सूचना पत्र स्वयं कहीं से भी आपको प्रवेश एवं आपकी पसन्द की ब्रान्च एलाटमेन्ट का अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- 3 प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर ही प्रवेश एवं ब्रान्च का आवन्टन किया जायेगा। संस्थान पर लागू उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।
- 4 यदि 'आप निर्धारित काउन्सिलिंग की तिथि एंव समय पर उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित नहीं होते तो आप प्रवेश पाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिये जायेगें।
- 5 आप द्वारा दी गयी कोई भी सूचना यदि कभी भी गलत जालसाजी के रूप में पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और सभी जारी किये गये प्रमाण पत्र वापस कर लिये जायेगें तथा आपके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- 6 काउन्सिलिंग में उपस्थित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 7 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर मेरिट कम में तभी विचार किया जायेगा यदि मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी न हो।
- ठोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ज्यूरीडिकेशन में होगा।
- 9 प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेश के समय जमा किया गया कोई भी शुल्क (काशनमनी को छोड़कर) किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- 10 संस्थान में प्रवेश के दौरान या उपरान्त निर्धारित मदों में यदि शुल्क में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर तदानुसार देयता सुनिश्चित होगी एवं सम्बन्धित पक्ष को स्वीकार्य करनी होगी।

## F. <u>अति महत्वपूर्ण निर्देशः</u>—

- 1 जिन प्रवेशार्थियों के पास आवश्यक वांछित अभिलेख/प्रपत्र मूल रूप में नहीं होगें, उन्हे प्रवेश प्रक्रिया में सिम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उन्हें किन्ही भी परिस्थितियों में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- अन्य राज्यों के अभ्यर्थी, जो जत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, की काउन्सिलिंग जत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों से सीटे रिक्त होने की स्थिति में ही काजिन्सिलिंग के अन्तिम दिन होगी।
- 3 काजिन्सिलिंग हेतु मांगे गये आरक्षण के समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र वैध तिथि के अन्तर्गत एवं सक्षम अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित एवं निर्गत किये हुए मान्य होगें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों को जनके आरक्षण के आधार को अमान्य करते हुए सामान्य अभ्यर्थी की प्रवीणता के आधार पर ही काजिन्सिलिंग के अधिकारी होगें।

01/08/2023

Jan de 14 2 2 3

108/23

११०००८ | १००८ २८ २८ अर्ड०र्ड०आर०टी०. प्रयागराज

01/08/2023